

कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/वेसिक-04/ 236

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा0शि0-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्यकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

सुगम श्रेणी से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता बिष्ट (विज्ञान)	रा0उ0प्रा0वि0 भालसी, डुण्डा	रा0क0उ0प्रा0वि0 सेकू, भटवाडी

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।


(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

पृ०सं०/ वेसिक-04/ 2414-22 / अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक के एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहरताक्षरी को अवगत करायेगे।



- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।

(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।
आदेश सं०/बेसिक-04/ **237** /अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक **29** जुलाई, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा0शि0-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुरंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर" उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित अध्यापकों को इस हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रजनी बलूनी (सामान्य)	रा0क0उ0प्रा0वि0 सारी, भटवाड़ी	रा0क0उ0प्रा0वि0 हीना, भटवाड़ी	17 ख (चार)
2	श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 दणगाणगाँव मोरी,	रा0क0उ0प्रा0वि0 नवीन ज्ञानसू, भटवाड़ी,	17 ख (पाँच)
3	श्रीमती सीता डोभाल (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 कुपड़ा, नौगांव	रा0उ0प्रा0वि0 मोल्डा, नौगांव	17 ख (पाँच)
4	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान (सामान्य)	रा0उ0प्रा0वि0 ढाटमीर, मोरी	रा0उ0प्रा0वि0 जोगथ (त0) चि0सौ0	17 ख (छः)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

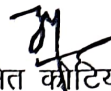
(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

पृ०सं०/ बेसिक-04/ **2423-33**

प्रतिलिपि- निम्नांकित को रावनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
/ अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित खटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी ✓

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

238

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० स्याबा, भटवाड़ी	रा०क०उ०प्रा०वि० बसूंगा, भटवाड़ी
2	श्री जयचन्द जोशी (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० बरी, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० डामटा, नौगांव
3	श्री दशरथ सिंह (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० लियाड़ी, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० पालर, नौगांव
4	श्री वीरपाल सिंह (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० कफनौल, नौगांव	रा०उ०प्रा०वि० जेमर, डुण्डा
5	श्री गंगवीरा लाल (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० नौगांव गोडर, नौगांव	रा०उ०प्रा०वि० सौन्दाड़ी, पुरोला

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

उत्तरकाशी

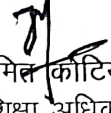
पृ०सं०/ बेसिक-04/ 2434-44/

अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।

- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित कीटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

239

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

सुगम श्रेणी से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	5
1	श्री चरण सिंह (विज्ञान)	रा.उ.प्रा.वि. तुल्याडा, चि०सौ०	रा०उ०प्रा०वि० गैर, मुगरसन्ती, नौगांव,
2	सरिता रावत (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० बलाडी, नौगांव	रा०उ०प्रा०वि० मसरी, मोरी

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी

पृ०सं०/ बेसिक-04/ **2445-53**

/अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक के एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार

ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी का अवगत करायेंगे।

- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित कटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी ✓

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

246

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर" उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित अध्यापकों को इस हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सोहन लाल सेमवाल (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० मथाली, चि०सौ०	रा०क०उ०प्रा०वि० सिरौर, भटवाड़ी	17 ख (एक)
2	श्रीमती राजेश्वरी रावत (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० सिरि, डुण्डा	रा०उ०प्रा०वि० पनौथ, डुण्डा	17 ख (एक)
3	श्री मनोज कुमार (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० थुनारा, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० मंजियाली, नोगांव	17 ख (एक)
4	श्री भागेन्द्र सिंह भण्डारी (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० नवागाँव, डुण्डा	रा०क०उ०प्रा०वि० गेंवला, बरसाली, डुण्डा	17 ख (चार)
5	श्री नारायण दास राठौर (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० दणगाणगांव मोरी	रा०क०उ०प्रा०वि० नानई, मोरी	17 ख (चार)
6	श्री जगमोहन सिंह रावत (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० सुक्खी, भटवाड़ी	रा०क०उ०प्रा०वि० ज्ञानसू नवीन, भट०	17 ख (चार)
7	श्री राकेश मोहन सेमवाल (विज्ञान)	रा.उ०प्रा०वि. गडोली, चि०सौ०	रा०क०उ०प्रा०वि० किशनपुर, भटवाड़ी	17 ख (चार)
8	श्री मनोज कुमार (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० खन्यासणी, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० लमकोटी, पुरोला	17 ख (चार)
9	श्री बिशन सिंह असवाल (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० खन्यासणी, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० कामरा, पुरोला	17 ख (छः)
10	श्री सन्त राम (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० गंगाड, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० डिंगाड़ी, पुरोला	17 ख (छः)
11	श्री प्रेमराज शाह (सामान्य)	रा.उ.प्रा.वि.देवजानी 2, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० गैर मुगरसन्ती, नौगांव	17 ख (छः)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिका किये विना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।



4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

पृ0सं0 / बेसिक-04 / 2454-65 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

241

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्री दिनेश सिंह (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० झाला, भटवाड़ी	रा०उ०प्रा०वि० रिखाऊ, नौगांव
2	श्री सरदार सिंह असवाल(विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० मसरी, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० रिखाऊ, नौगांव
3	श्रीमती अंजना कोटियाल (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० डाण्डागांव, नौगांव	रा०उ०प्रा०वि० छतरीभाँनी, नौगांव
4	श्री सन्दीप कुमार (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० जान्दणू, मोरी	रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू, मोरी
5	श्री जयवीर सिंह चौहान (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० डांग, डुण्डा	रा०उ०प्रा०वि० दियाडी, नौगांव
6	श्रीमती सुलोचना परमार (भाषा)	रा.उ.प्रा.वि. राँतल, चि०सौ०	रा०उ०प्रा०वि० रिखाऊ, नौगांव

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

उत्तरकाशी

प्रा०सं०/ बेसिक-04/ 2466-77 / अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।

- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहरताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी

कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।
आदेश सं०/बेसिक-04/ **242** /अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक **29** जुलाई, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा0शि0-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्यकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

सुगम श्रेणी से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती पंकज नाथ	रा0प्रा0वि0 उत्तरौं, भटवाड़ी	रा0प्रा0वि0 रैथल, भटवाड़ी

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

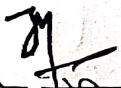

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी ✓

पृ०सं०/ बेसिक-04/ **2478-88** / अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल गण्डल पौड़ी।
- 4— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5— अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/संगरत उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6— सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक के एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी।


कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।
आदेश सं०/बेसिक-04/ **243** /अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक **24** जुलाई, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा0शि0-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर" उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित अध्यापकों को इस हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	प्रयोजन
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुनीता मलासी	रा0प्रा0वि0 भेलाटिपरी, भटवाड़ी	रा0प्रा0वि0 लक्षेश्वर, भट0	17 ख (एक)
2	श्री चमन सिंह	रा0प्रा0वि0 मैजणी, मोरी	रा0प्रा0वि0 जागटा, मोरी	17 ख तीन)
3	श्रीमती रजनी पडियार	रा0प्रा0वि0 मांगलीसेरा, डुण्डा	रा0प्रा0वि0 बसूंगा, भट0	17 ख (चार)
4	श्री धाम चन्द रमोला	रा0प्रा0वि0 धनेटी, डुण्डा	रा0प्रा0वि0 न्यू ईड, डुण्डा,	17 ख (छः)
5	श्री जयकिशन	रा0प्रा0वि0 स्यूणा, भटवाड़ी	रा0प्रा0वि0 नौगांव केलसू, भटवाड़ी	17 ख (सात)
6	श्री संजय मोहन डोभाल	रा0प्रा0वि0 सल्ला, मोरी	रा0प्रा0वि0 डोभालगाँव, मोरी	17 ख (सात)
7	श्री पूर्णानन्द व्यास	रा0प्रा0वि0 जेमर, डुण्डा	रा0प्रा0वि0 मसून, डुण्डा	17 ख (सात)

- स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अभि/कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

पृ0सं०/ बेसिक-04/ **2489-99** / अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित खटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

244

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से 'दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में' अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती पार्वती भट्ट	रा०प्रा०वि० चौडियाट गॉव, डुण्डा	रा०प्रा०वि० गढ़ भेटियारा, डुण्डा
2	श्री जगमोहन सिंह	रा०प्रा०वि० ढालियागांव, नौगांव	रा०प्रा०वि० कृष्णा, नौगांव
3	श्री प्रमोद कोठारी	रा०प्रा०वि० गडथ, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० श्रीकोट, चिन्थालीसौड़
4	श्री गजेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० ढासड़ा, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० अलेथ, भटवाड़ी
5	श्री राकेश राणा	रा०प्रा०वि० पाही, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० गडियारा, भटवाड़ी
6	श्री संगीता रावत	रा०प्रा०वि० नन्दगांव, नौगांव	रा०प्रा०वि० तुनाल्का, नौगांव
7	श्री अखिलेश कुमार	रा०प्रा०वि० जसपुर त०, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० भटवाड़ी, डुण्डा
8	श्री शिवराज सिंह गुर्साई	रा०प्रा०वि० पुजारगांव, डुण्डा	रा०प्रा०वि० भवान, डुण्डा
9	श्रीमती कृष्णा	रा०प्रा०वि० ओडगांव, नौगांव	रा०प्रा०वि० मुंगरा, नौगांव
10	श्री भरत प्रसाद	रा०प्रा०वि० सरतली, डुण्डा	रा०प्रा०वि० माण्डियासारी, डुण्डा
11	श्री चयन सिंह पंवार	रा०आ०प्रा०वि० कोटधार गमरी, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० कांदला, चि०सौ०
12	श्रीमती पीलावती असवाल	रा०प्रा०वि० फवाणगांव, नौगांव	रा०प्रा०वि० पलेठा, नौगांव
13	श्रीमती सरस्वती असवाल	रा०प्रा०वि० बनास, नौगांव	रा०प्रा०वि० इडक, नौगांव

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी

पृ०सं०/ बेसिक-04/2500-09

/ अनिवार्य स्थानान्तरण /2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित खटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

245

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

सुगम श्रेणी से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती हेमलता रावत	रा०प्रा०वि० लदाड़ी, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० जिनेथ, डुण्डा
2	श्रीमती सीमा रानी	रा०प्रा०वि० चपटाड़ी, पुरोला	रा०प्रा०वि० करनाली, नौगांव
3	श्री मनोज कुमार	रा०प्रा०वि० तलडा, पुरोला	रा०प्रा०वि० करनाली, नौगांव
4	श्रीमती बीना चौहान	रा०प्रा०वि० डेरिका, पुरोला	रा०प्रा०वि० सतरा, मोरी
5	श्रीमती विनीता रतूडी	रा०प्रा०वि० मैराणा, पुरोला	रा०प्रा०वि० दोणी, पुरोला
6	श्रीमती मीना भट्ट	रा०आ०प्रा०वि० बडेथी, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० भडकोट, डुण्डा
7	श्रीमती बिन्दु गुसाई पडियार	रा०आ०प्रा०वि० बडेथी, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० भेटियारा, डुण्डा
8	श्री मुरारी लाल राणा	रा०आ०प्रा०वि० बडेथी, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० गमरी, चि०सौ०
9	श्री बृजमोहन सिंह	रा०आ०प्रा०वि० मोरी	रा०प्रा०वि० बदांऊ, मोरी
10	श्रीमती प्रवीणा पुरी	रा०आ०प्रा०वि० भडकोट, नौगांव	रा०प्रा०वि० जिनेथ, डुण्डा
11	श्री चन्दन सिंह कुण्डरा	रा०आ०प्रा०वि० वीरपुर, डुण्डा	रा०प्रा०वि० सेम, डुण्डा
12	श्री दीपक सेमवाल	रा०आ०प्रा०वि० मुस्टिकसौंड, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० गेरी, भटवाड़ी
13	श्री जयवीर सिंह	रा०प्रा०वि० वीरपुर, डुण्डा	रा०प्रा०वि० सिरि, डुण्डा
14	श्री राजीव कुमार सेमवाल	रा०आ०प्रा०वि० मनेरी, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० संगलाई, भटवाड़ी
15	श्रीमती बीना पंवार	रा०प्रा०वि० गेंवला, डुण्डा	रा०प्रा०वि० पाही, भटवाड़ी
16	श्री मानेन्द्र सिंह पंवार	रा०प्रा०वि० पाटा, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० सेकू, भटवाड़ी

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी

पृ0स0 / वेसिक-04 / 25/01/19 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2024-2025 दिनांक उक्तवत ।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून ।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी / समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी ।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक के एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे ।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली ।


(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

246

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर" उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित अध्यापकों को इस हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	प्रयोजन
1	2	3	4	5
1	श्री रविन्द्र प्रसाद भट्ट	रा०प्रा०वि० हटनाली, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० तुल्याड़ा, चि०सौ०	17 ख (एक)
2	श्री गणेश दत्त अवस्थी	रा०प्रा०वि० सटूडी, मोरी	रा०प्रा०वि० कोटियालगाँव, भट०	17 ख (एक)
3	श्री दिलबर सिंह	रा०प्रा०वि० खेड़मी, मोरी	रा०प्रा०वि० उडरी, डुण्डा	17 ख (एक)
4	श्री प्रकाश सिंह	रा०प्रा०वि० दोणी, मोरी	रा०प्रा०वि० नानई, मोरी	17 ख (एक)
5	श्री योगेन्द्र सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० बार्सू, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० कन्या, उ०का०	17 ख (एक)
6	श्री पंकज पडियार	रा०प्रा०वि० कोटिभाटगाँव डुण्डा	रा०प्रा०वि० डांग, भटवाड़ी	17 ख (एक)
7	श्री चन्दन सिंह	रा०प्रा०वि० ग्वालगाँव, मोरी	रा०प्रा०वि० दणगाणगाँव, मोरी	17 ख (तीन)
8	श्रीमती शशि बिष्ट	रा०प्रा०वि० बमणती, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० जसपुर, भटवाड़ी	17 ख (तीन)
9	श्री हरीश चन्द्र कंसवाल	रा०प्रा०वि० उडरी, डुण्डा	रा०प्रा०वि० गमदिङगाँव, भटवाड़ी	17 ख (चार)
10	श्रीमती कुसुम चौहान	रा०प्रा०वि० पुजारगाँव, डुण्डा	रा०प्रा०वि० धारकोट, डुण्डा	17 ख (चार)
11	श्रीमती मनोरमा बिजल्वाण	रा०प्रा०वि० जखोल, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० मानपुर, भटवाड़ी	17 ख (चार)
12	श्रीमती ज्योतिका पंवार	रा.प्रा.वि. गुनाली चि०सौ०	रा०प्रा०वि० जसपुर(त०) चि०सौ०	17 ख (चार)
13	श्रीमती सरिता	रा०प्रा०वि० देवजानी मोरी	रा०प्रा०वि० मखना, पुरोला	17 ख (पाँच)
14	संजीव नयन	रा०प्रा०वि० नैपड़, डुण्डा	रा०प्रा०वि० गंगनानी, भटवाड़ी	17 ख (छः)
15	श्री शैलेश	रा०प्रा०वि० भंक्वाड, मोरी	रा०प्रा०वि० सौड़, चि०सौ०	17 ख (छः)
16	श्रीमती रीना भट्ट	रा०प्रा०वि० रिखाणगाँव चि०सौ०	रा०प्रा०वि० डाण्डागाँव, डुण्डा	17 ख (छः)
17	श्रीमती ममता नेगी	रा०प्रा०वि० गढ़ नौगाँव	रा०प्रा०वि० हर्षिल, भटवाड़ी	17 ख (छः)
18	श्री शिवराम नौटियाल	रा०प्रा०वि० कलीच, मोरी	रा०प्रा०वि० पुजारगाँव, डुण्डा	17 ख (छः)
19	श्रीमती इन्दुप्रभा	रा०प्रा०वि० कुड़, नौगाँव	रा०प्रा०वि० नवागाँव, डुण्डा	17 ख (छः)
20	श्रीमती सावित्री रावत	रा०प्रा०वि० बिगणाधार, मोरी	रा०प्रा०वि० बनकोट, चि०सौ०	17 ख (छः)
21	श्री दिनेश सिंह पवार	रा०प्रा०वि० दिचली, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० भड़कोट, डुण्डा	17 ख (छः)
22	श्री प्रवीण भट्ट	रा०प्रा०वि० कुपड़ा, नौगाँव	रा०प्रा०वि० भड़कोट, डुण्डा	17 ख (छः)
23	श्री ईश्वर सिंह राणा	रा०प्रा०वि० थली, नौगाँव	रा०प्रा०वि० जगड़गाँव, चि०सौ०	17 ख (छः)
24	श्रीमती कुसुमलता कोहली	रा०प्रा०वि० झोटाडी, मोरी	रा०प्रा०वि० जोगथ (म०)चि०सौ०	17 ख (छः)
25	श्री राजेश कुमार	रा०प्रा०वि० धारा, मोरी	रा०प्रा०वि० गैर भुगरसन्ती, नौ०	17 ख (छः)
26	श्री हुकम सिंह	रा०प्रा०वि० कपराड़ा, नौगाँव	रा०प्रा०वि० कामरा, पुरोला	17 ख (छः)
27	श्री देवानन्द भट्ट	रा०प्रा०वि० सर्प, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० जालंग, डुण्डा	17 ख (छः)
28	जुगल किशोर	रा०प्रा०वि० बलावट, मोरी	रा०प्रा०वि० बजरी, नौगाँव	17 ख (छः)
29	इन्दु रवि	रा०प्रा०वि० डोभालगाँव, मोरी	रा०प्रा०वि० चिणाभागी, चि०सौ०	17 ख (छः)
30	रूपा	रा०प्रा०वि० लवटवाड़, मोरी	रा०प्रा०वि० कामदा, चि०सौ०	17 ख (छः)
31	श्री गोपाल सिंह	रा०प्रा०वि० टण्डोल, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० जोगथ (वि०)चि०सौ०	17 ख (छः)
32	श्री दीपक थपलियाल	रा०प्रा०वि० किगडार, पुरोला	रा०प्रा०वि० बिजोटी, चि०सौ०	17 ख (छः)

33	श्री निशान्त चौहान	रा0प्रा0वि0 ढाटगीर, मोरी	रा0प्रा0वि0 तुमड़याकोट, मोरी	17 ख (छः)
34	श्री उर्मिला डोभाल	रा0प्रा0वि0 टिकोची, मोरी	रा0प्रा0वि0 कलेजगाँव, नौगाँव	17 ख (छः)
35	श्री दिग्पाल सिंह बिष्ट	रा0प्रा0वि0 देई, मोरी	रा0प्रा0वि0 हुल्डियाण, डुण्डा	17 ख (सात)
36	श्री प्रकाश नारायण	रा0प्रा0वि0 करड़ा, पुरोला	रा0प्रा0वि0 द्वारी, चि0सौ0	17 ख (सात)
37	श्री चमनदास	रा0आ0प्रा0वि0 मोरी, उ0का0	रा0प्रा0वि0 नितोषा, मोरी	17 ख (सात)
38	श्री ओमप्रकाश शाह	रा0प्रा0वि0 बयार्क, भटवाड़ी	रा0प्रा0वि0 भंगेली, भटवाड़ी	17 ख (सात)
39	श्रीमती लक्ष्मी कोहली	रा0प्रा0वि0 बुढोत्रा, मोरी	रा0प्रा0वि0 तिहार, भटवाड़ी	17 ख (सात)
40	श्री नरेश कुमार	रा0प्रा0वि0 बैनोल, मोरी	रा0प्रा0वि0 पावली, मोरी	17 ख (सात)
41	श्रीमती सिंह ललिता राम	रा0आ0प्रा0वि0 बड़कोट, नौगाँव	रा0प्रा0वि0 सीरा, चि0सौ0	17 ख (सात)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।

(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

पृ0सं0/ बेसिक-04/ 2520-31 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।

(अमित कोटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/

247

/अनिवार्य स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01 वर्ष-2018 तथा शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-16 (1) व (2) के अधीन स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या प्रा०शि०-दो (05)/784-2024/1344-46 दिनांक 04.05.2024 तथा शासनादेश सं०-1016/XXIV-B-1/24/07(4) 2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के आलोक में जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से "दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में" अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण (सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4
1	श्री भूषण लाल नटोल	रा०प्रा०वि० खमुण्डी मल्ली, नौगांव	रा०प्रा०वि० डामटा, नौगांव
2	श्री अमित कुमार आर्य	रा०आ०प्रा०वि०कफनौल, नौगांव	रा०प्रा०वि० पोरा, पुरोला
3	श्री विजय सिंह विष्ट	रा०प्रा०वि० मदेश, नौगांव	रा०प्रा०वि० ईडक, नौगांव
4	श्रीमती दीपमाला	रा०प्रा०वि० बीफ, नौगांव	रा०प्रा०वि० जखारी, डुण्डा
5	श्रीमती ममता पेटवाल	रा०प्रा०वि० नौगांव केलसू, भटवाड़ी	रा०प्रा०वि० अलेथ, भटवाड़ी
6	श्री वीरेन्द्र प्रसाद जंगूडी	रा०प्रा०वि० बल्डोगी, चिन्धालीसौड	रा०प्रा०वि० बरोल-II, चि०सौ०
7	श्री राजीव व्यास	रा०प्रा०वि० न्यूसारी, डुण्डा	रा०प्रा०वि० थाती, डुण्डा
8	श्री लोकेन्द्र दत्त	रा०प्रा०वि० कन्सेरू, नौगांव	रा०प्रा०वि० श्रीकोट, पुरोला
9	श्रीमती मीरा परमार	रा०प्रा०वि० त्वारका, डुण्डा	रा०प्रा०वि० रायकेलू, डुण्डा
10	श्री प्रवीण सिंह	रा०प्रा०वि० कुमारकोट, डुण्डा	रा०प्रा०वि० जामक, भटवाड़ी
11	श्री दिनेश प्रसाद	रा०प्रा०वि० बिंगसारी, मोरी	रा०प्रा०वि० पुजेली खलाड़ी, पुरोला
12	श्री मुकेश चन्द	रा०प्रा०वि० कुमारकोट, डुण्डा	रा०प्रा०वि० पिपली, डुण्डा
13	श्री राजेन्द्र जोशी	रा०प्रा०वि० खन्धासणी, मोरी	रा०प्रा०वि० बिजोरी, नौगांव
14	श्री धर्मेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० लियाड़ी, मोरी	रा०प्रा०वि० कल्याणी, डुण्डा
15	श्री देव कुमार जैन	रा०प्रा०वि० पिण्डकी, नौगांव	रा०प्रा०वि० तुनाल्का, नौगांव
16	श्री राजेश कुमार घलवान	रा०प्रा०वि० गुराडी, मोरी	रा०प्रा०वि० नगल, डुण्डा
17	श्रीमती उषा	रा०प्रा०वि० स्यालब, नौगांव	रा०प्रा०वि० सिडक, नौगांव
18	श्री दिनेश आर्या	रा०प्रा०वि० हडवाड़ी, मोरी	रा०प्रा०वि० गुन्दियाटगाँव, पुरोला
19	श्री दीपचन्द	रा०आ०प्रा०वि० कोटधार, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० खाल, चिन्धालीसौड
20	श्री प्रमोद कुमार उनियाल	रा०आ०प्रा०वि० कोटधार, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० जुग्गाड़ा, चिन्धालीसौड
21	श्री जयप्रकाश	रा०प्रा०वि०कामदा, चि०सौ०	रा०प्रा०वि० श्रीकोट, चिन्धालीसौड
22	श्री दिनेश प्रकाश	रा०प्रा०वि० सट्टा, मोरी	रा०प्रा०वि० बरोल-I, चि०सौ०
23	श्री जोगी लाल	रा०प्रा०वि० नकोडा, नौगांव	रा०प्रा०वि० पुजारगाँव, नौगांव
24	श्री यशवन्त कुमार	रा०प्रा०वि० जुगडगाँव, नौगांव	रा०प्रा०वि० पुजेली, नौगांव
25	श्री नरेश चन्द्र	रा०प्रा०वि० जुगडगाँव, नौगांव	रा०प्रा०वि० बगासू, नौगांव
26	श्री सुभाष चन्द्र	रा०प्रा०वि० हलना, नौगांव	रा०प्रा०वि० साड़ा, नौगांव
27	श्री संजीव सिंह	रा०प्रा०वि० ठौलिंका, नौगांव	रा०प्रा०वि० गंगाणी, नौगांव
28	श्री प्रवीण प्रसाद	रा०प्रा०वि० दुर्विल, नौगांव	रा०प्रा०वि० डख्याटगाँव, नौगांव
29	श्रीमती अनुसोया	रा०प्रा०वि० दुईक, नौगांव	रा०प्रा०वि० चक चन्देली, पुरोला
30	श्री मनोज कुमार	रा०प्रा०वि० बडोगी, नौगांव	रा०प्रा०वि० राजगढ़ी, नौगांव
31	श्री कृष्ण सिंह	रा०प्रा०वि० बसराली, नौगांव	रा०प्रा०वि० पुजेली, नौगांव

32	श्री प्रताप सिंह राणा	रा0प्रा0वि0 पमाडी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 मंजियाली, नौगांव
33	श्रीमती विजयराज पदमा	रा0प्रा0वि0 गडोली, चि0सौ0	रा0प्रा0वि0 कान्सी, चिन्हालीसौड
34	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	रा0प्रा0वि0 किया बजाणा, मोरी	रा0प्रा0वि0 खरादी, नौगांव
35	श्रीमती अमिता	रा0प्रा0वि0 फरी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 खरादी, नौगांव
36	श्री जयचन्द शर्मा	रा0प्रा0वि0 सौड, मोरी	रा0प्रा0वि0 दडमाणा, पुरोला
37	श्रीमती रेखा	रा0प्रा0वि0 बरी, मोरी	रा0प्रा0वि0 सुनाली, पुरोला
38	श्रीमती दक्षिणा नौटियाल	रा0प्रा0वि0 जेष्टवाडी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 छाड़ा, पुरोला
39	श्री हरि दास	रा0प्रा0वि0 तितराला, मोरी	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट, पुरोला
40	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जयाडा	रा0प्रा0वि0 खनेडा, नौगांव	रा0प्रा0वि0 राजगढ़ी, नौगांव
41	श्री शैलेन्द्र कुमार	रा0प्रा0वि0 दोणी, पुरोला	रा0प्रा0वि0 रेवड़ी, पुरोला
42	श्री आशुतोष कुमार	रा0प्रा0वि0 खाण्ड, चि0सौ0	रा0प्रा0वि0 भल्डगाँव, चिन्हालीसौड
43	श्री जय प्रकाश	रा0प्रा0वि0 बिंगसारी, मोरी	रा0प्रा0वि0 कुमोला, पुरोला
44	श्री प्रकाश चन्द्र	रा0प्रा0वि0 कोटी बनाल, नौगांव	रा0प्रा0वि0 रिखाऊ, नौगांव
45	श्री विजय कुमार शाह	रा0प्रा0वि0 देवल, मोरी	रा0प्रा0वि0 सिलक्यारा, डुण्डा
46	श्रीमती प्रतिमा रानी	रा0प्रा0वि0 सिदरी, मोरी	रा0प्रा0वि0 कोटी, पुरोला
47	श्री सतीश सरगवान	रा0प्रा0वि0 दागुडगांव, नौगांव	रा0प्रा0वि0 पौलगाँव, नौगांव
48	श्री चतर सिंह चौहान	रा0प्रा0वि0 लोदन, नौगांव	रा0प्रा0वि0 बिंगसी, नौगांव
49	श्री अभिमन्यु जोशी	रा0प्रा0वि0 वजरी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 किम्मी, नौगांव
50	श्री चमन लाल रौन्टा	रा0प्रा0वि0 तियां, नौगांव	रा0प्रा0वि0 पौलगाँव, नौगांव
51	श्री सुनील कुमार	रा0प्रा0वि0 नौगांव गोडर, नौगांव	रा0प्रा0वि0 सिडक, नौगांव
52	श्री मदन मोहन	रा0प्रा0वि0 खिर्मु, नौगांव	रा0प्रा0वि0 धारी वल्ली, नौगांव
53	श्री रमेश	रा0प्रा0वि0 बचाणगांव, नौगांव	रा0प्रा0वि0 विसाटगाँव, नौगांव
54	श्री दिनेश प्रसाद	रा0प्रा0वि0 पालिया, नौगांव	रा0प्रा0वि0 डंडालगाँव, नौगांव
55	श्री पवन कुमार	रा0प्रा0वि0 ठडियार, मोरी	रा0प्रा0वि0 पलेठा, नौगांव
56	श्री अनुज त्यागी	रा0प्रा0वि0 कलेजगांव, नौगांव	रा0प्रा0वि0 काण्डी, नौगांव
57	श्री खुशीराम	रा0प्रा0वि0 कुन्साला, नौगांव	रा0प्रा0वि0 मटियाली, नौगांव
58	श्री भूपेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 भुटाणू, मोरी	रा0प्रा0वि0 कोटी, पुरोला
59	श्री टीकम सिंह	रा0प्रा0वि0 जान्दणू, नौगांव	रा0प्रा0वि0 मैराणा, पुरोला
60	श्री मनमोहन आर्य	रा0प्रा0वि0 मताडी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 उपला मठ, पुरोला
61	श्री नागेन्द्र दत्त नौटियाल	रा0प्रा0वि0 छुडी, नौगांव	रा0प्रा0वि0 विणाई, पुरोला
62	श्री रजन सिंह	रा0प्रा0वि0 धारीपल्ली, नौगांव	रा0प्रा0वि0 हुडोली गाँव, पुरोला
63	श्री गंगा स्वरूप	रा0प्रा0वि0 खेड़मी, मोरी	रा0प्रा0वि0 हुडोली बा0, पुरोला
64	श्रीमती मेघी	रा0प्रा0वि0 मोरा, मोरी	रा0प्रा0वि0 हुडोली बा0, पुरोला
65	श्री जब्बर सिंह	रा0प्रा0वि0 गडालगांव, नौगांव	रा0प्रा0वि0 स्वील, पुरोला
66	श्रीमती ललिता	रा0प्रा0वि0 हिमरोल, नौगांव	रा0प्रा0वि0 करड़ा, पुरोला
67	श्री दिनेश प्रसाद	रा0प्रा0वि0 सरनौल, नौगांव	रा0प्रा0वि0 नेत्री, पुरोला
68	श्री सरजीत लाल	रा0प्रा0वि0 कुठार, नौगांव	रा0प्रा0वि0 नेत्री, पुरोला
69	श्रीमती निर्मला	रा0प्रा0वि0 गोदीन, नौगांव	रा0प्रा0वि0 घुण्डाडा, पुरोला
70	श्री कुशला शाह	रा0प्रा0वि0 नथेडगांव, नौगांव	रा0प्रा0वि0 हिरालनी, पुरोला
71	श्री दिनेश कुमार	रा0प्रा0वि0 तेडा, नौगांव	रा0प्रा0वि0 गैण्डा, पुरोला

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित शिक्षक को अवमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
2. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

4. अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित अध्यापक/अध्यापिकायें नवीन स्थानान्तरित विद्यालय हेतु तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में चयनित/प्रतिस्थानी शिक्षक की तैनाती न हो जाये।


(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

पृ0सं0 / बेसिक-04 / 2532-43 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2024-2025 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उप कोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा अन्य सम्बन्धित शिक्षकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 8- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होंगे।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रावली।


(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।